



सी/७

| हुकम या कार्यवाही मय इशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तामील में जारी हुए |
|---|--|
| <p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण वकील उप०।</p> <p>प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी के खेत ग्राम उचावडा, पटवार हल्का काश्मीर, भु- अभिलेख निरीक्षक- भीयाड़ तह० शिव के खसरा नम्बर 1042/171, 1044/454 रकबा कमशः 3, 23.10 बीघा भूमि आई हुई है।</p> <p>प्रार्थीगण की उपरोक्त भूमि के सेढा - सेढ ही विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है, प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के खेतों के बीच में किसी प्रकार की कोई पक्की माठें तथा सीमा लेते समय खेतों के सेढों के संबंध मे तनाव एव विवाद बना रहता है तथा विप्रार्थीगण प्रार्थीगण की भूमि का जबरन सेढा तोडकर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि पर जबरन काश्त कर लेते है। तथा प्रार्थीगण को उसकी भूमि के उपयोग एवं उपभोग मे हर समय बाधा उत्पन्न करते रहते है।</p> <p>प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज कर विप्रार्थीगण सं. 1 से 10 को जरिये नोटिस डाक रजिस्टर एडी से भेजे हुये को 30 दिन से अधिक समय व्यतीत हो चुका है।</p> <p>अतः सी.पी.सी. Order 5 Rule 9(5) के तहत 30 दिन से अधिक समय व्यतीत होने पर मान लिया जाता है कि विप्रार्थीगण 1 से 10 के सम्मन तामील हो गए है। सम्मन तामील होने के बावजूद विप्रार्थीगण अनुपस्थित। अतः विप्रार्थीगण के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल मे लाई जाती है। प्रार्थीगण वकील की एक तरफा बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नक्शे एवं वर्तमान जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। वर्तमान नक्शे के आधार पर प्रार्थी के खेत की सीमा विप्रार्थीगण के खेत की सीमा से लगती है।</p> <p>अतः वर्तमान सर्वेक्षण नक्शे के आधार पर प्रार्थीगण की पक्की नेखमबंदी की मांग स्वीकार करने योग्य है।</p> <p> उपखण्ड अधिकारी शिव</p> | |

- आदेश -

अतः प्रार्थीगण हरूराम पुत्र जगराम, जाति- जाट, नि० उचावडा, तह० शिव वगैरा का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम उचावडा, पटवार मण्डल काश्मीर, भु- अभिलेख निरीक्षक - भीयाड, तह० शिव, के खसरा नम्बर 1042/171, 1044/454 रकबा कमशः 3, 23.10 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखमंबदी हेतु तहसीलदार शिव को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क 1000/- रूपये प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जायेगा। नेखमंदी दोनो पक्षों की मौजूदगी मे की जावे यदि मौके पर विवाद हो तो संबंधित पुलिस थाना ईमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 5.07.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी
शिव

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शिव जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रतापसिंह (आई.ए.एस)

राजस्व आवेदन संख्या :- 19/2019

क्रमांक/आवेदन/19/4570

दिनांक-

प्रार्थीगण

बनाम

विप्रार्थीगण

हरूराराम पुत्र जगराम, जाति-जाट, नि0
उचावडा, तह0 शिव वगैरा (02)

केशराराम पुत्र भोजाराम वगैरा (10)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नेखमबंदी आवेदन पर वकील प्रार्थी को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार शिव को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में ग्राम उचावडा, पटवार हल्का काश्मीर, भू- अभिलेख निरीक्षक - भीयाड़ के खेत खसरा नम्बर 1042/171, 1044/454 रकबा क्रमशः 3, 23.10 बीघा भूमि के चारो तरफ स्थाई पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार शिव को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। प्रार्थीगण कमीशनर गुल्क 1000/- मौके पर अदा करेंगे। कमीशनर प्रार्थीगण के खसरो की नेखमबंदी विप्रार्थीगण की उपस्थित में करे।

उपरोक्त नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावें ताकि नेखबंदी की पुष्टि की कार्यवाही की जा सके। आवश्यक होने पर संबंधित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है।


उपखण्ड अधिकारी
शिव

क्रमांक/आवेदन/19/4571-76

दिनांक-2/9/2019

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

1. तहसीलदार शिव को पालनार्थ।
2. भू-अभिलेख निरीक्षक भीयाड़ को पालनार्थ।
3. हल्का पटवारी काश्मीर को भेजकर लेख है कि भू-अभिलेख निरीक्षक भीयाड़ द्वारा निर्धारित तिथि को मय रिकार्ड मौके पर उपस्थित होकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
4. थानाधिकारी पुलिस थाना शिव को पालनार्थ।
5. प्रार्थीगण हरूराराम पुत्र जगराम वगैरा (02) को सूचनार्थ।
6. विप्रार्थीगण केशराराम पुत्र भोजाराम वगैरा (10) को सूचनार्थ।


उपखण्ड अधिकारी
शिव

Scanned by CamScanner

